उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 05.05.04 को एफ0आर0डी0सी0 सभागार में सम्पन्न हुई तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण की तृतीय बैठक दिनांक 05.05.04 को अपराह्न 2.00 बजे बोर्ड की अध्यक्षा एवं प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में वन एवं ग्राम्य विकास, सभागार में सम्पन्न हुई । निम्नलिखित सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया:-

1. श्रीमती विभा पुरी दास, अध्यक्षा, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री संजीव चोपड़ा, सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. श्री बी.एस. बरफाल, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून।
4. श्री सी.वी.एस. नेगी, सदस्य सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।
5. श्री डी.के. गुप्ता, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. श्री के.सी. मिश्रा, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7. श्री उमाकांत पंवार, अपर सचिव, स्वास्थ्य, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
8. श्री एस.पी. सुबुद्धि, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
9. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, देहरादून।
10. श्री अरविन्द कुमार, सदस्य, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
11. श्री अनुराग वर्मा, सदस्य, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
12. श्री भजन सिंह, महाप्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
13. श्री अनिल कुमार त्यागी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
14. श्री पी.एस. रावत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार ।
15. श्री जी.सी. मैठाणी, वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदया एवं बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा बोर्ड बैठक के औचित्य एवं एजेण्डा के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी बैठक में उपस्थित सदस्यों को दी गयी । सभी उपस्थित सदस्यों के परिचय के पश्चात् सदस्य सचिव ने वर्ष 2003-04 में बोर्ड द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया ।

तदोपरान्त बैठक की कार्यसूची के अनुसार निम्न निर्णय लिये गये :-

क्र. सं.	विषय	निर्णय
1.	द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन ।	कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।
2.	द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये:- • अध्यक्ष महोदया द्वारा यह निर्देशित किया गया कि बोर्ड द्वारा जल व वायु नियमों के अनुमोदन हेतु शासन स्तर से कार्यवाही करवाये जाने के लिये प्रयास किये जायें ।

		• आई.डी.एफ.सी. से प्राप्त होने वाली ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विभाग से आख्या प्राप्त की जाये क्योंकि उत्तरांचल में क्षेत्र काफी अधिक है । • भवन निर्माण हेतु मा0 उच्च न्यायालय के मूल आदेश की प्रति मंगवाकर बोर्ड द्वारा विधिक अभिमत प्राप्त किया जाये तथा आख्या बोर्ड के अध्यक्ष को शीघ्र प्रस्तुत की जाये । • बोर्ड में 10,000–15,200 के वेतनमान में एक अनुभवी पूर्णकालिक विधि अधिकारी की नियुक्ति अंशकालिक विधि सलाहकार के स्थान पर की जाये । • परिवहन, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा पर्यावरण विभाग को बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिये जाने हेतु प्रस्ताव उत्तरांचल शासन को प्रेषित किया जाये । • जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 1998 यथासंशोधित 2000 के अनुपालन हेतु बोर्ड द्वारा प्रत्येक त्रैमास में राज्य में जन–जागरूकता हेतु वर्कशाप का आयोजन किया जाये । • आगामी विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन हेतु बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया:– 1. सचिव उद्योग या उनके प्रतिनिधि – सदस्य 2. अपर सचिव, स्वास्थ्य – सदस्य 2. अपर सचिव, पर्यावरण – सदस्य 3. सदस्य सचिव, यू.ई.पी.पी.सी.बी., – सदस्य संयोजक उपरोक्त समिति कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी। • राज्य में उद्योगों, नदियों, वायुगुणता आदि के नमूनों को एकत्र एवं विश्लेषण किये जाने हेतु बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से लक्ष्य निर्धारित किये जायें ।
3.	वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु बोर्ड का बजट।	वर्ष 2004–05 का बोर्ड बजट इस आशय के साथ अनुमोदित किया गया कि बोर्ड यह सुनिश्चित करें कि इस वित्तीय वर्ष में व्यय किसी भी दशा में बोर्ड की वास्तविक आय से अधिक न हो। वर्ष 2003–04 की बैलेंस शीट 30 जून, 2004 तक तैयार की जाये एवं लेखा आडिट शीघ्र पूर्ण कराया जाये ।
4.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा– 31 (ए) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा– 33 (ए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रतिनिधायन।	जल व वायु अधिनियम की धारा 31–ए तथा 33–ए में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु बोर्ड के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
5.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

(13)

	17(1) जी एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 17(1)–जी के अंतर्गत प्रदत्त प्राविधानों के मानकों को लागू किया जाना।	
6.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 49 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 43 के अंतर्गत प्रदत्त की गयी शक्तियों के प्रयोजन हेतु ।	बोर्ड के सदस्य सचिव के अनुमोदन के पश्चात् बोर्ड में प्रथम श्रेणी अधिकारी (पर्यावरण अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी) को वाद न्यायालय में दायर किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।
7.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धाराओं 20, 21 एवं 23 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धाराओं 24, 25 एवं 26 के अंतर्गत प्रदत्त की गयी शक्तियों के प्रयोजन हेतु ।	सदस्य सचिव के अनुमोदन से बोर्ड के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के तकनीकी एवं वैज्ञानिक अधिकारियों को सूचना प्राप्त करने, निरीक्षण करने एवं उत्प्रवाह/उत्सर्जन के नमूने एकत्र किये जाने हेतु अधिकृत किया गया ।
8.	बोर्ड कार्मिकों हेतु कान्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेन्ट फन्ड एवं ग्रुप इन्श्योरेन्स स्कीम लागू करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
9.	बोर्ड में अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उत्तरांचल शासन की सलाह के उपरान्त बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से कार्यवाही की जाये।
10.	बोर्ड द्वारा उत्तरांचल की पर्यावरणीय स्थिति पर अपना मासिक बुलेटिन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
11.	बोर्ड के द्वितीय तल पर निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ।	द्वितीय तल पर भवन निर्माण का प्रस्ताव इस आशय के साथ अनुमोदित किया गया कि कार्यालय में कार्मिकों के कार्य करने हेतु क्षेत्रफल के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाये ।

(सी.वी.एस. नेगी)
सदस्य सचिव
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून

(विभा पुरी दास)
अध्यक्षा
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून